क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

Website - **ktbuniv.ac.in**
E-Mail - **ktbuniv@gmail.com**

क्र. / .04..../ शैक्षणिक /सम्बद्धता/2026 खरगोन, दिनांक :- 09/01/2026

// अधिसूचना //

सर्व संबंधित के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय का पत्र क्रंमाक/ 351/17/cc/24/38-3, भोपाल दिनांक 03/06/2024 एवं अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल पत्र क्रंमाक /1007/71/cc/2024/38, भोपाल, दिनांक 24/10/2025 के परिपालन में माननीय कुलगुरू महोदय को म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (क) में प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों के तहत प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के 5 जिलों-खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर एवं आलीराजपुर में संचालित नर्सिंग एवं पैरामेडिकल महाविद्यालयों को क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन से सत्र 2025-26 में संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय की Website:- ktbuniv.ac.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है, जिसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी 2026 निर्धारित की जाती है।

नर्सिंग पाठ्यक्रमों एवं पैरामेडिकल पाठ्यकमों को संचालित करने वाले महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की Website:- ktbuniv.ac.in पर आवेदन के साथ पोर्टल शुल्क एवं पंजीयन शुल्क जमा करना होगा तत्पश्चात् प्रत्येक महाविद्यालय को Login ID जारी किया जाएगा।

Login ID जारी होने के पश्चात ही महाविद्यालयों को पाठ्यक्रमवार प्रथम वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं दस्तावेज अपलोड करने पर अस्थाई सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु विस्तृत सूचना पृथक से जारी की जावेगी।

आदेशानुसार

09/01/2026
(डॉ. मनोहर दास सोमानी)
कुलसचिव

पृ.क्र. / ..05.../ शैक्षणिक /सम्बद्धता/2026 खरगोन, दिनांक :- 09/01/2026

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य/संचालक, संबंधित शासकीय/अशासकीय निर्संग महाविद्यालयों, जिला- खरगोन, बड़वानी, आलीराजपुर, बुरहानपुर, खण्डवा ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषित।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सुचनार्थ प्रेषित।
3. रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद् गोमंतिका परिसर, III फ्लोर, जवाहर चौक, भोपाल ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अतरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोती तबेला केम्पस इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. प्रभारी, ऑनलाईन विभाग, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विरेन्द्र उचवारे)
सहा. कुलसचिव

क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

Website - ktbuniv.ac.in
E-Mail - ktbuniv@gmail.com

ऑनलाईन सम्बद्धता आवेदन के साथ संलग्न (अपलोड) किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची पैरामेडिकल एवं नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु

01. पाठ्यक्रम हेतु मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति।
02. पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य सक्षम केन्द्रीय एवं राज्य निकायों की अनुमति।(MPNRC, MPPC, INC)
03. रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
04. महाविद्यालय, संचालन समिति के सदस्यों की सूची / ट्रस्टीयों की सूची (रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी से अनुमोदित एवं अद्यतन स्थिति में) तथा संस्था के बॉयलाज।
05. पुस्तकों की सूची,उपकरणों की सूची,शिक्षकों (परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत चयनित)की सूची,फर्नीचर की संख्या आदि।
06. महाविद्यालय भवन संबंधी जानकारी :-
    (प्रचार्य कक्ष, व्याख्यान कक्ष,प्रयोगशाला कक्ष,पुस्तकालय कक्ष आदि)
07. रू. 200/- के स्टाम्प पर अभिवचन पत्र प्रथम श्रेणी न्यायायिक दण्डाधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित। (प्रारूप संलग्न)
08. पूर्व सत्र में जारी किये गये सम्बद्धता पत्र की प्रति।
09. हास्पिटल संबंधी जानकारी। (बेड संख्या एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित)
10. फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र, नॉनइनकम्बरेंस प्रमाण-पत्र, भवन भूमि का म्यूटेशन प्रमाण-पत्र, लेंडयूज प्रमाण-पत्र, सी.सी.टी.वी. कैमरों की जानकारी।
11. महाविद्यालय की बैलेन्स शीट, ऑडिट रिपोर्ट।
12. संस्था की वेबसाईट / वेब लिंक की जानकारी।
13. संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु छात्रावास सुविधा, स्टॉफ हेतु आवास सुविधा आदि की जानकारी।
14. महाविद्यालय के जियोटेग कलर फोटो
15. प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लेब, पुस्तकालय संबंधी जानकारी।

नोट :- ऑनलाईन सम्बद्धता आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले उपरोक्त समस्त दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों/ सूचियों पर संस्था के सचिव / अध्यक्ष की पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किया जावे एवं इण्डेसिंग कर विश्वविद्यालय में हार्ड कॉपी प्रस्तुत करें।

शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 200/- के स्टाम्प पर अभिवचन पत्र प्रथम श्रेणी न्यायायिक दण्डाधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं .... पिता का नाम .... उम्र ....
पता ....
शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :-

मैं शासकीय स्वशासी. .... महाविद्यालय,
.... जिला- .... के प्राचार्य / संचालक पद पर पदस्थ हूँ।

मैं अशासकीय /अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय ....
की संस्थापक संस्था .... का सचिव/ प्राचार्य (परिनियम 28 के अन्तर्गत चयनित) हूँ तथा यह शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ।

मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि,

01. विश्वविद्यालय द्वारा संबंद्धता हेतु निर्धारित शुल्क / फीस निश्चित समयावधि में विश्वविद्यालय के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा कर दी जावेगी, इसके पश्चात् ही संबंद्धता हेतु गठित निरीक्षण समिति से संस्था का निरीक्षण करने की सहमति प्रदान की जाती है।
02. आवेदित पाठ्यक्रम को क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन से सम्बद्धता प्राप्त होने पर ही संस्था द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा। बिना सम्बद्धता प्राप्त किये यदि किसी विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा, विश्वविद्यालय का नहीं।
03. महाविद्यालय संस्था विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 27 एवं 28 एवं शासन द्वारा दिये जाने वाले आदेशों निर्देशों का पालन करने हेतु प्रतिबद्ध रहेगी, साथ ही संस्था द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य नियामक संस्थाओं द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
04. महाविद्यालय द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के उपबंधों के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरांत तीन माह की अवधि के पूर्व शासीनिकाय का गठन किया जायेगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
05. परिनियम क्रमांक 27 एवं 28 अनुसार निर्धारित एण्डोमेंट फण्ड की राशि (संयुक्त एफ.डी.आर. के रूप में) विश्वविद्यालय में जमा की जायेगी। (केवल अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
06. परिनियम क्रमांक 27 के उपबंधों के अनुसार भवन निधि हेतु निर्धारित राशि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जमा की जावेगी। (केवल अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
07. परिनियम क्रमांक 28 के उपबंधों के अनुसार समस्त शिक्षकीय गैर शिक्षकीय पदों पर निर्धारित समयावधि में नियुक्तियों की जावेगी। (केवल अशासकीय महाविद्यालय हेतु)